सुभाष चन्द्र बनाम राजेन्द्र प्रसाद आदि
2022/202
निर्णय दिनांक:–09.12.2025

सत्यमेव जयते

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

**(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)**

वाद पत्र सं. : 2022/202 दर्ज दिनांक : 15.11.2022

1. सुभाषचन्द्र पुत्र बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

**बनाम**

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
2. प्रेमलता पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
3. पवन कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
4. संजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
5. राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
6. सुनिता पुत्री ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.) वर्तमान पता ग्राम पोस्ट घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. गायत्री देवी पत्नी मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
8. अशोक कुमार पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
9. अनिल कुमार पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
10. हरिश कुमार पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
11. शशि पुत्री मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

13. सुशीला पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
14. सम्पति पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

15. किशनलाल पुत्र मुन्नी पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासीगण आशाराम के मंदिर के पास पौद्धारों का मोहल्ला वार्ड सं. 27 फतेहपुर जिला सीकर (राज.)
16. कैलाश पुत्र मुन्नी पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासीगण आशाराम के मंदिर के पास पौद्धारों का मोहल्ला वार्ड सं. 27 फतेहपुर जिला सीकर (राज.)
17. शिवरतन पुत्र मुन्नी पुत्री बेजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासीगण आशाराम के मंदिर के पास पौद्धारों का मोहल्ला वार्ड सं. 27 फतेहपुर जिला सीकर (राज.)
18. मधुसुदन पुत्र मुन्नी पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासीगण आशाराम के मंदिर के पास पौद्धारों का मोहल्ला वार्ड सं. 27 फतेहपुर जिला सीकर (राज.)
19. शांति देवी पुत्री मुन्नी पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण वर्तमान पता भूतिया बास, गायत्री मंदिर के पास वार्ड संख्या 09, चूरू (राज.)

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री रघुनन्दन सोनी
प्रतिवादी श्री सूर्य प्रकाश शर्मा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92क 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

## –:निर्णय प्रारम्भिक डिक्रीः–

**निर्णय तिथिः– 09.12.2025**

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अन्तर्गत धारा–53, 88, 92क 188 वास्ते तकासमा व चिरस्थाई व्यादेश किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम रतननगर तहसील चूरू के रकबा में संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1027/540/2.3017 हैक्ट. व खसरा संख्या 1029/575/0.5059 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 2.8076 हैक्ट. बारानी अवस्थित है। इस संयुक्त खातेदारी भूमि में वादी का 1/7 हिस्सा अविभाजित दर्ज है एवं वाद–पत्र के समर्थन में जमाबंदी हमराह दावा है।
2. उपर्युक्त कृषि भूमि जो वादी के पितामह से न्यायगमित होकर उतराधिकार विधि से वादी के पिता बैजूराम उर्फ बैजताथ से प्राप्त हुई तथा वादी के पिता की मृत्युपरांत उनके विधिक वारिसान वादी व प्रतिवादी सं. 01 ता 10 गौण प्रतिवादी संख्या 12 ता 18 न्यायगमित हुई है, दावा हाजा की पारदर्शिता के लिये वादी के पिता का स्वर्गीय बैजूराम उर्फ बैजनाथ का वंशवृक्ष है।
3. वर्तमान में यह कृषि भूमि जो वादी के पिता के परांत वादी व उनके तीन भाई ओमप्रकाश, मुरारीलाल तथा राजेन्द्र प्रसाद व तीन बहिने मुनी, सुशीला तथा सम्पति के बहिस्सा बराबर–बराबर के राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई, जिससे उन्होने वादगत समस्त कृषि भूमि का आपस में बाहमी बंटवारा [illegible] खातेदार मुन्नील, सुशीला व सम्पति ने अपने 3/7 हिस्सा की समस्त कृषि [illegible] अपने चारों भाई नामतः सुभाषचन्द्र वादी, ओमप्रकाश, मुरारीलाल [illegible] तिक यानि दस्तबरदार हो चुकी है। जिससे वादी [illegible] ओमप्रकाश, मुरारीलाल तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

मुरारीलाल व राजेन्द्र प्रसाद वादगत भूमि में अपने—अपने हिस्से जो बाहमी बंटवारे से प्राप्त हुआ में नींव सींव डालकर कब्जा व काश्त में निर्विवादित रूप से लेते चले आ रहे है।

4. वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि का उपरोक्तानुसार मौखिक बंटवारा होने के पश्चात वादी अपने 1/4 हिस्सा को काश्त करता आ रहा है, परन्तु बाहमी बंटवारा के पश्चात् वादी के भाई ओमप्रकाश, मुरारीलाल व एक बहन मुन्नी का स्वर्गवास हो चुका है। ओमप्रकाश के विधिक उत्तराधिकारीगण में उनकी पत्नी प्रेमलता व पुत्र सन्तान पवन कुमार, संजय कुमार, राकेश कुमार व सुनिता हुई जो वाद—पत्र में प्रतिवादी संख्या 02 से 06 है, मुरारीलाल खातेदार की मृत्यु होने के बाद मृतक खातेदार के स्थान पर उनकी पत्नी गायत्री देवी, तीन पुत्र क्रमशः अशोक कुमार, हरिश कुमार व एक पुत्री शशि हुई जो वाद—पत्र में प्रतिवादी संख्या 07 से 11 है प्रतिस्थापित हुये और उनका नाम भी राजस्व अभिलेख में अंकित है।

5. वादी की बहिन खातेदार मुनी पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ की मृत्यु हो चुकी है, मृतका खातेदार के विधिक वारिस में चार पुत्र सन्तान क्रमशः किशनलाल, कैलाश, शिवरतन, मधुसुदन व एक पुत्री शांति देवी हुये, जो मुन्नील देवी के स्थान पर वाद—पत्र में गौण प्रतिवादी संख्या 15 ता 19 संस्थित है, जिनका नाम राजस्व अभिलेख में अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, परन्तु उनको अपनी माता मुन्नी ने अपने जीवनकाल में अपने 1/7 हिस्से से नातिक होने की सदैव जानकारी रही है। इसी प्रकार गौण प्रतिवादी संख्या 13 सुशीला पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ व गौण प्रतिवादी संख्या 14 सम्पति पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ जिवित है। वे भी अपने खातेदारी के हिस्से से बाहमी बंटवारे में नातिक हो चुकी है, जिससे उनका वादगत कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं रहा है और न ही वे किसी प्रकार के हिस्से का दावा करती है। इसलिये वाद—पत्र में उन्हें गौण—प्रतिवादी संख्या 13 ता 19 दर्ज किया है।

6. वादगत कृषि भूमि में वादी अपने 1/4 हिस्सा कृषि भूमि जिसको काश्त करता चला आ रहा है अपनी कृषि भूमि में लूंग, पाला व जलाउ लकड़ियों को काटकर खेत में उपजाऊ करने के लिये मजदूरों व ट्रेक्टर से कार्य करवाता है तो आये दिन नीव सींव को लेकर प्रतिवादी संख्या 01 ता 11 छोटी—छोटी बातों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न करने पर उतारू हो जाते है जिससे तंग होकर वादी अपने हिस्से व कब्जे काश्त की कृषि भूमि को अलग विभाजित करवा लेने हेतु प्रतिवादीगण को कहा और कहलवाया गया कि वे एक साथ चलकर कृषि भूमि का बंटवारा करवा लेवे परन्तु प्रतिवादीगण दिनांक 25.10.2022 को स्पष्ट रूप से बमुकाम रतननगर में वादगत कृषि भूमि के विभाजन से साफ इंकार हो गये, प्रतिवादीगण द्वारा की गई इंकारी से वादी को इसी तारीख से प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद हेतुक व कारण उत्पन्न हो गया।

7. दावा में प्रतिवादी संख्या 17 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चूरू भूमिधारी है, जिनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, मात्र तकमीलन पक्षकार बनाया गया है, वाद—पत्र में राज्य सरकार भूमिधारी के हितों के विरूद्ध असर डालने वाला कोई अनुतोष भी नहीं चाहा गया है इसलिये दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

8. वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकर में स्थित है दावा हाजा वाद की सुनवाई किये जाने का श्रवणाधिकार हासिल है। दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती घोषणात्मक विभाजन व चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्र[illegible] पेश है, अतः दावा हाजा उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादी द्वारा वाद—प[illegible]दी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री [illegible] पारित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1027/540/2.3017 हैक्ट. व खसरा संख्या 1029/575/0.5059 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 2.8076 हैक्ट. कृषि भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा भूमि है, जिस पर वादी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है।

(ख) वादगत कृषि भूमि में वादी के 1/4 हिस्सा कृषि भूमि को विभाजित कर बाई–मीटस एंड बाउंड से कब्जा व काश्त के अनुसार हिस्सा पृथक से राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाकर लगान कायम किया जावे।

(ग) जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 के विरूद्ध इस आशय की आज्ञप्ति जारी की जावे कि वादगत कृषि भूमि में वादी के विभाजित हिस्सा की कृषि भूमि से उसको बेदखल ने करे तथा वादी के कब्जा काश्त उपभोग में किसी तरह से तर्क या फेल भी उत्पन्न न करे व ना ही ऐसा कोई कार्य व उपकार्य करे कि जिससे वादी को अपुर्तिय क्षति का सामाना करना पड़े।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी व करीने इंसाफ हो जिसकी इस्तदुआ वाद–पत्र में करने से रह गई हो और दौराने दावा उत्पन्न हो जावे को भी अता फरमाई जावे।

(ड़) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

9. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 व 13 ता 19 की ओर से अधिवक्ता श्री सूर्य प्रकाश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किया जाकर राजीनामा पेश किया गया जिसको शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 तकमीलन पक्षकार बनाया गया है। राजीनामे के अनुसार गौण प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 19 सदैव अपने द्वारा पूर्व में परित्यक्त की गई भूमि के संबंध में परित्याग के द्वारा वादी के पिता से उत्पन्न चारों पुत्र सन्तान सुभाषचन्द्र वादी तथा ओमप्रकाश, मुरारीलाल, राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष में कर दिया चूंकि गौण प्रतिवादीगण संख्या 13 सुशीला व प्रतिवादी संख्या 14 सम्पत्ति में द्वारा अपनी पूर्व सह–खातेदार बहिन मुन्नी ने अपने जीवनकाल के दौरान ही वादगत कृषि भूमि में से अपने 3/7 हिस्सा बहिब का परित्याग कर दिया, परन्तु इसी मध्य मुन्नी पुत्री बेजूराम स्वर्गवासी हो जाने के कारण से गौण प्रतिवादीगण संख्या 15 से 19 जो मृतका खातेदार मुन्नी के विधिक वारिश है वे अपनी माता द्वारा किये गये परित्याग से भी पूर्णतया सहमत है तथा पूर्व में किये गये मौखिक रूप से परित्याग की निरंतरता में आज भी कायम है और राजीनामा पर हस्ताक्षर कर अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि का परित्याग कर नातिक एवं दस्तबरदार होते है परन्तु जहां इस राजीनामा के द्वारा मौखिक परित्याग से परित्याग–पत्र की बाबत किसी भी प्रकार की करपंवचना ना हो इसलिये इस राजीनामा के साथ 500/– रूपये के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर हमराह मुद्रांक कर के रूप में शामिल पत्रावली किया जा रहा है। अतः इस राजीनामा के आधार पर राजीनामा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न मानचित्र जो राजीनामा का एक भाग रहेगा जिसको पृथक–पृथक रंग से विभाजन से प्राप्त भूमि हिस्सेदार दर्ज है के अनुसार उभय पक्ष वादी तथा प्रतिवादीगण अपने–अपने कब्जा व काश्त के अनुसार वादगत सम्पति का बंटवारा संलग्न राजीनामा अनुसार है तदनुसार वादगत कृषि भूमि विभाजन की बिनाय पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाकर पृथक से खाता विभाजन व लगान भी कायम किया जाकर तहसीलदार चूरू को राजस्व अभिलेख में वादगत कृषि भूमि मिन कर दर्ज किये जाने हेतु आदेश प्रदान [illegible] से सदैव उभय पक्ष वाद–पत्र रूप से पालना करते रहेंगे। अतः प्रार्थना [illegible] है कि प्रार्थना–पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा सं[illegible] [illegible]या जाकर तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जावे कि राजीनामा के अनुसार वादगत कृषि भूमि की प्रविष्टी पृथक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

से खाता खाता राजस्व अभिलेख व मानचित में दर्ज किया जाकर लगान भी कायम किया जावे।

10. अधिवक्ता उभयपक्ष ने बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जिसका मौखिक बंटवारा पूर्व में हो चुका है परन्तु विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। मौखिक बंटवारा के अनुसार सभी सह खातेदार अपने–अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। राजीनामा के अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर दावा में निर्णय व डिक्री फरमाया जावे।

11. मैंने प्रकरण में वादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात्, राजीनामा अंतिम चौसाला आधार सम्वतः– 2071–2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1027/540/2.3017 हैक्ट. व खसरा संख्या 1029/575/0.5059 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 2.8076 हैक्ट. वाके रतननगर पटवार मण्डल रतननगर तहसील व जिला चूरू में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी व असल प्रतिवादीगण हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित हैं। राजीनामे पर पक्षकारान की सहमति के आधार पर राजीनामा स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण व प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है। राजीनामा के साथ संलग्न नक्शा अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है संलग्न राजीनामा व नक्शा को भविष्य में निर्णय व डिक्री का भाग माना जावेगा। तहसीलदार चूरू राजीनामा व नक्शा के अनुरूप ही खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

## निर्णय

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1027/540/2.3017 हैक्ट. व खसरा संख्या 1029/575/0.5059 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 2.8076 हैक्ट. वाके रतननगर पटवार मण्डल रतननगर तहसील व जिला चूरू में खातेदार काश्तकार है तथा राजीनामा के संलग्न नक्शा में दर्शितानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान निम्नानुसार अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता हैः–

| क्र.सं. | नाम खातेदार मय वल्दियत व पता | खसरा नम्बर | हिस्सा भूमि को विभाजन की निरंतरता से प्राप्त |
|---|---|---|---|
| 1. | सुभाषचन्द्र पुत्र बैजूराम उर्फ बैजनाथ कौम ब्राहमण साकिन देह खातेदार | 1027/540 मिन<br>1029/575 मिन | 0.5754 हैक्ट.<br>0.1264 हैक्ट. |
| 2. | राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बैजूराम उर्फ बैजनाथ कौम ब्राहमण साकिन देह खातेदार | 1027/540 मिन<br>1029/575 मिन | 0.5754 हैक्ट.<br>0.1264 हैक्ट. |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | प्रेमलता पत्नी ओमप्रकाश, पवनकुमार, संजय कुमार, राकेश कुमार पुत्रगण ओमप्रकाश व सुनिता पुत्री ओमप्रकाश कौम ब्राहमण साकिन देह खातेदार बहिस्सा बराबर—बराबर | 1027 / 540 मिन<br>1029 / 575 मिन | 0.5754 हैक्ट.<br>0.1264 हैक्ट. |
| 4. | गायत्री देवी पत्नी मुरारीलाल, अशोक कुमार, अनिल कुमार, हरिश कुमार पुत्रगण मुरारीलाल कौम ब्राहमण साकिन देह खातेदार बहिस्सा बराबर—बराबर | 1027 / 540 मिन<br>1029 / 575 मिन | 0.5754 हैक्ट.<br>0.1264 हैक्ट. |

राजीनामा के संलग्न नक्शा भविष्य में दावा एवं डिक्री का भाग व जूज माना जावेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
## (पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2022/202 दर्ज दिनांक : 15.11.2022

1. सुभाषचन्द्र पुत्र बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
2. प्रेमलता पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
3. पवन कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
4. संजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
5. राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
6. सुनिता पुत्री ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.) वर्तमान पता ग्राम पोस्ट घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. गायत्री देवी पत्नी मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
8. अशोक कुमार पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
9. अनिल कुमार पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
10. हरिश कुमार पुत्र मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
11. शशि पुत्री मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

13. सुशीला पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)
14. सम्पति पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 08 रतननगर तह. व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

15. किशनलाल पुत्र मुन्नी पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासीगण आशाराम के मंदिर के पास पौद्धारों का मोहल्ला वार्ड सं. 27 फतेहपुर जिला सीकर (राज.)
16. कैलाश पुत्र मुन्नी पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासीगण आशाराम के मंदिर के पास पौद्धारों का मोहल्ला वार्ड सं. 27 फतेहपुर जिला सीकर (राज.)
17. शिवरतन पुत्र मुन्नी पुत्री बेजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासीगण आशाराम के मंदिर के पास पौद्धारों का मोहल्ला वार्ड सं. 27 फतेहपुर जिला सीकर (राज.)
18. मधुसुदन पुत्र मुन्नी पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण निवासीगण आशाराम के मंदिर के पास पौद्धारों का मोहल्ला वार्ड सं. 27 फतेहपुर जिला सीकर (राज.)
19. शांति देवी पुत्री मुन्नी पुत्री बैजूराम उर्फ बैजनाथ जाति ब्राहमण वर्तमान पता भूतिया बास, गायत्री मंदिर के पास वार्ड संख्या 09, चूरू (राज.)

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री रघुनन्दन सोनी
प्रतिवादी श्री सूर्य प्रकाश शर्मा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92क 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

## —:पर्चा डिक्री:—

दावा वादीगण अन्तर्गत् धारा— 53, 88, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत् तकसीम आराजी वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर उभय पक्षकारों की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी वादगत कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1027/540/2.3017 हैक्ट. व खसरा संख्या 1029/575/0.5059 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 2.8076 हैक्ट. वाके रतननगर पटवार मण्डल रतननगर तहसील व जिला चूरू के खातेदार काश्तकार है तथा राजीनामा के संलग्न नक्शे में दर्शितानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते व लगान निम्नानुसार अलग—अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:—

| क्र.सं. | नाम खातेदार मय वल्दियत व पता | खसरा नम्बर | हिस्सा भूमि को विभाजन की निरंतरता से प्राप्त |
|---|---|---|---|
| 1. | सुभाषचन्द्र पुत्र बैजूराम उर्फ बैजनाथ कौम ब्राहमण साकिन देह खातेदार | 1027/540 मिन<br>1029/575 मिन | 0.5754 हैक्ट.<br>0.1264 हैक्ट. |
| 2. | राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बैजूराम उर्फ बैजनाथ ब्राहमण साकिन देह खातेदार | 1027/540 मिन<br>1029/575 मिन | 0.5754 हैक्ट.<br>0.1264 हैक्ट. |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | प्रेमलता पत्नी ओमप्रकाश, पवनकुमार, संजय कुमार, राकेश कुमार पुत्रगण ओमप्रकाश व सुनिता पुत्री ओमप्रकाश कौम ब्राहमण साकिन देह खातेदार बहिस्सा बराबर—बराबर | 1027/540 मिन<br>1029/575 मिन | 0.5754 हैक्ट.<br>0.1264 हैक्ट. |
| 4. | गायत्री देवी पत्नी मुरारीलाल, अशोक कुमार, अनिल कुमार, हरिश कुमार पुत्रगण मुरारीलाल कौम ब्राहमण साकिन देह खातेदार बहिस्सा बराबर—बराबर | 1027/540 मिन<br>1029/575 मिन | 0.5754 हैक्ट.<br>0.1264 हैक्ट. |

राजीनमा के संलग्न नक्शा भविष्य में दावा एवं डिक्री का भाग व जूज माना जावेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करें। तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested